डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2018-20

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक
डिस्पेच दिनांक प्रतिमाह 1 व 16

● वर्ष 62 ● अंक 20 ● भोपाल ● 16-31 मार्च, 2019 ● पृष्ठ 8 ● एक प्रति 7 रु. ● वार्षिक शुल्क 150/- ● आजीवन शुल्क 1500/-

मध्यप्रदेश में 4 चरणों में होंगे लोकसभा चुनाव : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचरण संहिता लागू

भोपाल। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल. कान्ता राव ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा 2019 की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गयी है। जो 27 मई तक लागू रहेगी और लोकसभा चुनाव की मतगणना 23 मई को होगी। प्रदेश में आयोग के निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार चार चरणों में चुनाव होंगे। सात चरणों में होने वाले लोकसभा चुनावों में चौथे, पांचवे, छटवे और सातवें चरण में मध्यप्रदेश के 29 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होंगे।

प्रदेश में चौथे चरण में 6 लोकसभा क्षेत्र सीधी, शहडोल, जबलपुर, बालाघाट, मण्डला और छिन्दवाड़ा में मतदान होगा। निर्वाचन प्रक्रिया में 2 अप्रैल को अधिसूचना जारी होगी और 9 अप्रैल तक नामांकन जमा किये जा सकेंगे। 10 अप्रैल को नामांकनों की संवीक्षा होगी और 12 अप्रैल को नाम वापस लियें जा सकेंगे। 29 अप्रैल को मतदान होंगे।

पांचवे चरण में सात लोकसभा क्षेत्र टीकमगढ़, दमोह, सतना, रीवा, खजुराहो, होशंगाबाद और बैतूल लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होंगे जिसकी अधिसूचना 10 अप्रैल को जारी होगी। 18 अप्रैल तक नामांकन जमा किये जा सकेंगे। 20 अप्रैल को नामांकनों की संवीक्षा होगी। 22 अप्रैल को नाम वापस लिये जा सकेंगे। मतदान 6 मई को होगा।

छटवे चरण में आठ लोकसभा क्षेत्र मुरैना, भिण्ड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल और राजगढ़ में मतदान होगा। जिसकी अधिसूचना 16 अप्रैल को जारी होगी। 23 अप्रैल तक नामांकन जमा किये जा सकेंगे। 24 अप्रैल को नामांकनों की संवीक्षा होगी। 26 अप्रैल को नाम वापस लिये जा सकेंगे। मतदान 12 मई को होगा।

सातवें और अन्तिम चरण में आठ लोकसभा क्षेत्र देवास, उज्जैन, इंदौर, धार, मन्दसौर, रतलाम, खरगौन और खण्डवा में मतदान होगा। जिसकी अधिसूचना 22 अप्रैल को जारी होगी। 29 अप्रैल तक नामांकन जमा किये जा सकेंगे। 30 अप्रैल को नामांकनों की संवीक्षा होगी। 2 मई को नाम वापस लिये जा सकेंगे। मतदान 19 मई को होगा। प्रदेश में लोकसभा चुनाव की मतगणना 23 मई को होगी।

विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 126 छिन्दवाड़ा का विधानसभा चुनाव भी लोकसभा निर्वाचन के साथ ही होगा। जिसमें 29 अप्रैल को मतदान होगा और मतगणना 23 मई को लोकसभा की मतगणना के साथ ही होगी।

24×7 न्यूज चैनलों की मानीटरिंग की जाएगी

भोपाल। भारत निर्वाचन आयोग के लोकसभा निर्वाचन 2019 की घोषणा के साथ ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय अरेरा हिल्स में एम.सी.एम.सी.कक्ष क्रियाशील हो गया है। जिसमें 24 घण्टे न्यूज चैनलों की सतत् मानीटरिंग शुरू हो गयी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल. कान्ता राव ने राज्यस्तरीय एम.सी.एम.सी कक्ष का निरीक्षण किया। इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक श्री योगेश चौधरी और जनसम्पर्क आयुक्त श्री पी. नरहरि भी उपस्थित थे। श्री राव ने कक्ष के निरीक्षण के दौरान निर्देश दिये कि न्यूज चैनल पर प्रसारित होने वाले चुनाव संबंधी समाचारों की रिकॉर्डिंग की जाये और उसकी रिपोर्ट शीघ्र भेजी जायें। एम.सी.एम.सी कक्ष में जनसंपर्क संचालनालय के संयुक्त संचालक को मुख्य नोडल अधिकारी बनाया गया है। उनके साथ ही जनसम्पर्क विभाग के 68 अधिकारी–कर्मचारी कार्यरत है। एम.सी.एम.सी. कक्ष में 18 टी.व्ही. चैनलों की 24 घण्टे मानीटरिंग आचार संहिता लगने के साथ ही शुरू हो गयी है। एम.सी.एम.सी कक्ष में समाचार पत्र–पत्रिकाओं की भी मानीटरिंग कर पेड न्यूज संबंधी समाचारों का संकलन भी किया जायेगा। इसी प्रकार पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर भी एम.सी.एम.सी कक्ष स्थापित किये गये हैं।

सहकारी नेतृत्व में सहज सोच स्वार्थ रहित कर्तव्य अपेक्षित

जबलपुर। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्या. के संयुक्त तत्वाधान में सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, जबलपुर द्वारा शहरी साख सहकारी समितियों का नेतृत्व विकास प्रशिक्षण सत्र का त्रिदिवसीय आयोजन 28 से 02 मार्च 2019 तक किया गया।

प्रशिक्षण में प्रशिक्षार्थियों को नेतृत्व की अवधारणा एवं सहकारी समितियों को आर्थिक समृद्ध बनाने तथा सदस्यों के कल्याणार्थ के निर्वाचित नेतृत्व के दायित्व अधिकार प्रबंध तकनीक एवं प्रबंध में सामाजिक उत्तरदायित्व की विचारधारा, म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम लेखांकन आदि विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया।

सत्र अवधि में जबलपुर संभाग के संयुक्त आयुक्त सहकारिता श्री पी.एस.तिवारी ने प्रशिक्षार्थियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि नेतृत्व का आशय संस्थागत निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य की अगुवाई करना है जिससे आर्थिक परिणाम प्राप्त हो सके। नेतृत्व में सहज सोच स्वार्थ रहित कर्तव्य होना अपेक्षित है यही नेतृत्व है और मानव धर्म भी है। विधान एवं व्यवहार में अनुकूलता होनी चाहिये। कानून का पालन करने से नेतृत्व का आदर्श स्वरुप स्थापित हो सकता हैं।

सत्र संयोजक श्री एस. के. चतुर्वेदी ने प्रशिक्षण की रुपरेखा बतायी। प्राचार्य श्री यशोवर्धन पाठक ने स्वागत करते हुए कहा कि साख सहकारी समितियों का नेतृत्व विकास प्रशिक्षण में संयुक्त आयुक्त महोदय का मार्ग दर्शन नई दिशा देगा। सत्र अवधि में व्याख्याता श्री वी.के. बर्वे, श्री दिलीप मरमट ने विविध विषयों पर प्रशिक्षण दिया। केन्द्र के प्रशिक्षक रीतेश कुमार, श्री एन.पी. दुबे, श्री शोभित ब्यौहार, एवं श्री पीयूष रॉय की सेवाओं से प्रशिक्षण प्रभावी रुप में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम के अन्त में श्री वी.के. बर्वे व्याख्याता ने आभार व्यक्त किया।

सभी क्षेत्रों में विकास का माध्यम सहकारिता

खण्डवा। दिनांक 5 मार्च 2019 को भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ नई दिल्ली, म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल तथा जिला सहकारी संघ खण्डवा के तत्वावाधान में खण्डवा जिले की दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के पदाधिकारियों सदस्यों के लिये तीन दिवसीय नेतृत्व विकास कार्यक्रम का शुभारम्भ उप आयुक्त, सहकारिता मीना डाबर द्वारा किया गया। सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र इंदौर के प्राचार्य निरंजन कसारा ने सेमीनार को सम्बोधित करते हुए कहा कि आज सहकारी संस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ तथा आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है। प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से पदाधिकारियों और सदस्यों में प्रबंधकीय निर्णय तथा नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। के.एल. राठौर ने बताया कि सर्वांगीण विकास के लिए सहकारी संस्थाओं को अपने दायित्वों और अधिकारों को समझते हुए आगे आना होगा। जिला सहकारी संघ के प्रबंधक मेहताब सिंह भदौरिया ने बताया कि सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारियों को संस्था के अधिनियम, उपनियम एवं अधिकार व कर्तव्यों का ज्ञान होना आवश्यक हैं। दुग्ध संघ के प्रबंधक श्री एस.के. कराहे ने कहा कि खुली प्रतिस्पर्धा के दौर में सहकारिता ही एक ऐसा माध्यम है कि जिसमें असंगठित, असहाय किसान अपना संगठन बनाकर कृषि ही नहीं अपितु सभी क्षेत्र में अपने परिवार के साथ–साथ एवं गांव, जिला एवं देश का विकास कर सकते है। उक्त सेमीनार में 30 दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाओं के लगभग 50 सदस्य उपस्थित रहे। सेमीनार का शुभारंभ मॉ सरस्वती की मूर्ति पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन से प्रारंभ किया।

सकारात्मक विचारों के लिए स्वयं को प्रेरित करें

आप सब ने नकारात्मक और सकारात्मक सोच के बारे में न केवल ढेर सारे लेख ही पढ़े होंगे, बल्कि जीवन–प्रबंधन से जुड़ी छोटी–मोटी और मोटी–मोटी किताबें भी पढ़ी होंगी। जब आप इन्हें पढ़ते हैं, तो तात्कालिक रूप से आपको सारी बातें बहुत सही और प्रभावशाली मालूम पड़ती हैं और यह सच भी है। लेकिन कुछ ही समय बाद धीरे–धीरे वे बातें दिमाग से खारिज होने लगती हैं और हमारा व्यवहार पहले की तरह ही हो जाता है।

इसका मतलब यह नहीं होता कि किताबों में सकारात्मक सोच पर जो बातें कही गई थीं, उनमें कहीं कोई गलती थी। गलती मूलतः हममें खुद में होती है। हम अपनी ही कुछ आदतों के इस कदर बुरी तरह शिकार हो जाते हैं कि उन आदतों से मुक्त होकर कोई नई बात अपने अंदर डालकर उसे अपनी आदत बना लेना बहुत मुश्किल काम हो जाता है लेकिन असंभव नहीं। लगातार अभ्यास से इसको आसानी से पाया जा सकता है।

हम महसूस करते हैं कि हमारा जीवन मुख्यतः हमारी सोच का ही जीवन होता है। हम जिस समय जैसा सोच लेते हैं, कम से कम कुछ समय के लिए तो हमारी जिंदगी उसी के अनुसार बन जाती है। यदि हम अच्छा सोचते हैं, तो अच्छा लगने लगता है और यदि बुरा सोचते हैं, तो बुरा लगने लगता है। इस तरह यदि हम यह नतीजा निकालना चाहें कि मूलतः अनुभव ही जीवन है, तो शायद गलत नहीं होगा।

आप थोड़ा सा समय लगाइए और अपनी जिंदगी की खुशियों और दुःखों के बारे में सोचकर देखिए। आप यही पाएंगे कि जिन चीजों को याद करने से आपको अच्छा लगता है, वे आपकी जिंदगी को खुशियों से भर देती हैं और जिन्हें याद करने से बुरा लगता है, वे आपकी जिंदगी को दुखों से भर देती हैं।आप बहुत बड़े मकान में रह रहे हैं लेकिन यदि उस मकान से जुड़ी हुई स्मृतियां अच्छी और बड़ी नहीं हैं तो वह बड़ा मकान आपको कभी अच्छा नहीं लग सकता। इसके विपरीत यदि किसी झोपड़ी में आपने जिंदगी के खूबसूरत लम्हे गुजारे हैं, तो उस झोपड़ी की स्मृति आपको जिंदगी का सुकून दे सकती हैं।

इस बारे में एक कहानी है– एक सेठजी प्रतिदिन सुबह मंदिर जाया करते थे। एक दिन उन्हें एक भिखारी मिला। इच्छा न होने के बाद भी बहुत गिड़गिड़ाने पर सेठजी ने उसके कटोरे में एक रुपए का सिक्का डाल दिया। सेठजी जब दुकान पहुंचे तो देखकर दंग रह गए कि उनकी

तिजोरी में सोने की एक सौ मुहरों की थैली रखी हुई थी। रात को उन्हें स्वप्न आया कि मुहरों की यह थैली उस भिखारी को दिए गए एक रुपए के बदले मिली है।

जैसे ही नींद खुली वे यह सोचकर दुखी हो गए कि उस दिन तो मेरी जेब में एक–एक रुपए के दस सिक्के थे, यदि मैं दसों सिक्के भिखारी को दे देता तो आज मेरे पास सोने की मुहरों की दस थैलियां होतीं। अगली सुबह वे फिर मंदिर गए और वही भिखारी उन्हें मिला। वे अपने साथ सोने की सौ मुहरें लेकर गए ताकि इसके बदले उन्हें कोई बहुत बड़ा खजाना मिल सके। उन्होंने वे सोने की मुहरें भिखारी को दे दीं।

वापस लौटते ही उन्होंने तिजोरी खोली और पाया कि वहां कुछ भी नहीं था। सेठजी कई दिनों तक प्रतीक्षा करते रहे। उनकी तिजोरी में कोई थैली नहीं आई। सेठजी ने उस भिखारी को भी ढुंढवाया लेकिन वह नहीं मिल सका। उस दिन से सेठजी दुखी रहने लगे।

क्या आप यह नहीं समझते कि सेठजी ने यह जो समस्या पैदा की, वह अपने लालच और नकारात्मक सोच के कारण ही पैदा की। यदि उनमें संतोष होता और सोच की सकारात्मक दिशा होती तो उनका व्यक्तित्व उन सौ मुहरों से खिलखिला उठता। फिर यदि वे मुहरें चली भी गईं, तो उसमें दुखी होने की क्या बात थी, क्योंकि उसे उन्होंने तो कमाया नहीं था लेकिन सेठजी ऐसा तभी सोच पाते, जब वे इस घटना को सकारात्मक दृष्टि से देखते। इसके अभाव में सब कुछ होते हुए भी उनका जीवन दुखमय हो गया।

इसलिए यदि आपको सचमुच अपने व्यक्तित्व को प्रफुल्लित बनाना है तो हमेशा अपनी सोच की दिशा को सकारात्मक रखिए। किसी भी घटना, किसी भी विषय और किसी भी व्यक्ति के प्रति अच्छा सोचें, उसके विपरीत न सोचें। दूसरे के प्रति अच्छा सोचेंगे, तो आप स्वयं के प्रति ही अच्छा करेंगे। कटुता से कटुता बढ़ती है। मित्रता से मित्रता का जन्म होता है। आग, आग लगाती है और बर्फ ठंडक पहुंचाती है।

सकारात्मक सोच बर्फ की डल्ली है जो दूसरे से अधिक खुद को ठंडक पहुंचाती है। यदि आप इस मंत्र का प्रयोग कुछ महीने तक कर सके तब आप देखेंगे कि आप के अंदर कितना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया है। जो काम सैकड़ों ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर सकता, सैकड़ों सत्संग नहीं कर सकते, सैकड़ों मंदिर की पूजा और तीर्थों की यात्राएं नहीं कर सकते, वह काम सकारात्मकता संबंधी यह मंत्र कर जाएगा। आपका व्यक्तित्व चहचहा उठेगा। आपके मित्रों और प्रशंसकों की लंबी कतार लग जाएगी।

आप जिससे भी एक बार मिलेंगे, वह बार–बार आपसे मिलने को उत्सुक रहेगा। आप जो कुछ भी कहेंगे, उसका अधिक प्रभाव होगा। लोग आपके प्रति स्नेह और सहानुभूति का भाव रखेंगे। इससे अनजाने में ही आपके चारों ओर एक आभा मंडल तैयार होता चला जाएगा। यही वह व्यक्तित्व होगा, जो अपने परीक्षण की कसौटी पर शत–प्रतिशत खरा उतरेगा–24 कैरेट स्वर्ण की तरह।

आप पर निर्भर करते हैं परिणाम

अगर आपने ध्यान सकारात्मकता पर केंद्रित कर लिया तब न केवल अच्छे विचार आएंगे, बल्कि आप स्वयं के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ हो पाएंगे। यह स्थिति आते ही आपके कार्यों पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ना आरंभ हो जाएगा। एक बार आपके मन में सकारात्मकता के विचार आना आरंभ हो गए तब आप अपने आपमें स्वयं ही परिवर्तन देखेंगे और यह परिवर्तन आपके साथियों को भी नजर आने लगेगा।

सकारात्मकता के कारण ही कंपनियां अपने कर्मचारियों को आगे बढ़ने का मौका देती हैं। यही नहीं, कंपनियां अब इस बात को पहले इंटरव्यू में ही जान लेती हैं कि आने वाले व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। क्या वह सकारात्मकता में विश्वास रखता है कि नहीं? वह नकारात्मक परिस्थितियों में किस प्रकार की प्रतिक्रिया देता है? क्या वह केवल दिखावे के लिए सकारात्मकता का चोला ओढ़े हुए है? कोई भी कंपनी ऐसा कर्मचारी नहीं रखना चाहती, जिसकी नकारात्मक विचारधारा हो। इसलिए 'थिंक पॉजीटिव...एक्ट पॉजीटिव'।

नकारात्मक सोच से ऐसे बचें

सकाराकता अपने आपमें सफलता, संतोष और संयम लेकर आती है। व्यक्ति मूलतः सकारात्मक ही रहता है, परंतु कई बार नकारात्मक कदमों के कारण असफलता हाथ लग जाती है। इस असफलता का व्यक्ति पर कई तरह से असर पड़ता है। वह भावनात्मक रूप से टूटता है, वहीं इन सभी का असर उसके व्यक्तित्व पर भी पड़ता है। व्यक्तित्व पर असर लंबे समय के लिए पड़ता है तथा वह कई बार अवसाद में भी चला जाता है।

ऐसी स्थिति से बाहर आने में काफी लंबा समय भी लग सकता है। नकारात्मकता से आखिर कैसे बचे? क्योंकि प्रोफेशनल वर्ल्ड में हमें तरह–तरह के लोगों से मिलना पड़ता है। साथ ही अपने आपको प्रतिस्पर्धा के इस युग में आगे बनाए रखने के लिए भी तरह–तरह के जतन करना पड़ते हैं। ऐसे में हम अपने आपको सकारात्मक बनाए रखने के लिए स्वयं ही प्रयत्न कर सकते हैं।

परिस्थितियों को पहचानें

अक्सर हमारे मन में कोई भी आवश्यक कार्य या कोई बिजनेस मीटिंग के पूर्व नकारात्मक विचार आते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो? अगर मीटिंग सफल नहीं हुई तब? मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन गलत पड़ गया तो फिर क्या होगा? इस प्रकार के प्रश्न मन में आते जरूर हैं। इनसे पीछा छुड़ाने के लिए इन बातों का अध्ययन करें कि आखिर ये प्रश्न कौन–सी परिस्थितियों में उपजते हैं। फिर इन समस्याओं से छुटकारा पाने की कोशिश करें, सकारात्मक सोच बनाए रखें।

इन परिस्थितियों में संभलना सीखें

जिन परिस्थितियों में नकारात्मक विचार आते हैं, उनसे सही तरीके से सामना करना सीखें। इस बात की तरफ ध्यान दें कि इन परिस्थितियों के दौरान अब आप पहले जैसी प्रतिक्रिया नहीं देंगे और इस दौरान संयमित होकर स्वयं के सफल होने की ही कामना स्वयं से करेंगे। आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि जो नकारात्मक विचार आ रहे हैं वह धीरे–धीरे पॉजीटिव सोच मे बदल जाएंगे।

स्वयं से तर्क करना सीखें

नकारात्मकता का जवाब सकारात्मकता के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता यह बात मन में बैठा लें। इसके बाद जो भी नकारात्मक विचार मन में आए उसके साथ तर्क करना सीखें और वह भी सकारात्मकता के साथ। जिस प्रकार से नकारात्मक विचार लगातार आते रहते हैं, ठीक उसी तरह से आप स्वयं से सकारात्मक विचारों के लिए स्वयं को प्रेरित करें और अपने प्रयासों में सफलता हासिल करें।

सहकारी संस्थाओं में अंशपूंजी प्रबंधन

सहकारी समिति को अन्य प्रकार के व्यवसायिक संगठनों की तरह पूंजी की आवश्यकता होती है। अपनी पूंजी की इस आवश्यकता को पूरा करने के लिये सहकारी समिति अपने सदस्यों तथा अन्य बाहरी साधनों पर भी निर्भर रहती है। संस्था की पूंजी को दो भागों में विभाजित किया जाता है– (1) निजी पूंजी और (2) उधार ली हुई पूंजी। निजी पूंजी और उधार पूंजी मिलकर समिति की कार्यशील पूंजी बनती है।

निजी पूंजी

सहकारी समिति निजी पूंजी निम्न साधनों से एकत्रित की जाती है–

(क) प्रवेश शुल्क द्वारा

सदस्यों को समिति में दाखिल करते समय उनसे प्रवेश शुल्क उस दर से वसूल किया जाता है जैसा कि इसके उपविधियों द्वारा निश्चित किया गया हो। सदस्यों से प्रवेश शुल्क लेने का तात्पर्य है कि वे सहकारिता की उपयोगिता को समझ कर स्वेच्छा से सदस्य बने है और साथ ही समिति के प्रारम्भिक खर्च के लिये कुछ रकम एकत्र हो जाती है।

(ख) अंश के विक्रय द्वारा

पूंजी एकत्रित करने का दूसरा प्रमुख साधन अंश विक्रय का है। अंश के अंतर्गत समिति के साधन में सदस्यों द्वारा किये गये उस प्रारम्भिक योगदान का समावेश होता है जिससे समिति उनके लिये आवश्यक सुविधाओं को देने में समर्थ होती है। अधिकांश सहकारी समितियों में एक अंश की कीमत न्यूनतम दस रूपये तक होती है जो कि सदस्य साधनों से क्रय कर सकता है। दूसरे शब्द मे अंश समिति के उपनियमों में निश्चित की गई कुल पूंजी का एक छोटा भाग है जो की सदस्यों को बेचा जाता है और जिसका मूल्य एक मुश्त या कुछ किश्तों में वसूल किया जाता है। समिति की पूंजी को छोटे भागों में विभाजित कर देने से सदस्यों को इसकी पूंजी में रकम लगाने में सुविधा होती है। समितियों में अंशपूंजी रखने से बहुत से लाभ होते है। सदस्यों की पूंजी समिति के कारोबार लगने से वे इसको अपनी संस्था समझते हैं और इसके कार्यो में दिलचस्पी लेते है। उनकी निजी पूंजी भी बढ़ती है। जहां पर सदस्यों से अंशों की कीमत छोटी–छोटी अंशिकाओं में जमा कराया जाता है वहां उनमें नियमित बचत करने की आदत पड़ती है। संस्था की निजी पूंजी भी बढ़ती है जिससे इसे सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाहरी साधनों पर कम निर्भर रहना पड़ता है।

अंशपूंजी का महत्व

अंशपूंजी के महत्व पर मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में निम्न प्रकार से विचार किया है–

निम्न स्तर पर सहकारी आन्दोलन में अंश पूंजी मितव्ययिता को प्रोत्साहित करने में बड़ी सहायक रही है और भविष्य में भी सहायक सिद्ध हो सकती है। अतः समितियों के लिये यह अच्छा होगा कि वे सतत् अपनी अंश पूंजी में वृद्धि करते रहें। समितियों की कुछ धनराशि ऋण देने के अतिरिक्त व्यवसायिक कार्य के लिये आवश्यक धन अंशपूंजी के आधार पर ही जुटाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त निम्न स्तर पर पर्याप्त मात्रा में अंशपूंजी के होने से बकाया ऋण का आघात बहुत कुछ निम्न स्तर पर भी झेला जा सकता है और इसका दुषप्रभाव उच्चस्तरीय संस्थाओं पर न पड़ेगा। इन सब कारणों से प्राथमिक समितियों की पूंजी में शासकीय योगदान आवश्यक है। सदस्यों द्वारा समिति में लगाई गई अंशपूंजी समिति की आर्थिक मजबूजी में उसकी रूचि का माप दण्ड है। यह उसमें जिम्मेदारी की भावना तथा समिति के प्रति उसकी वफादारी पैदा करती है।

इ.एम. हाउघ के अनुसार अंशपूंजी रक्षित निधि की तरह समिति की आर्थिक सुदृढ़ और इसके मजबूती को बढ़ाती है और बाहरी पूंजी पर से समिति की निर्भरता को कम करके सदस्यों को कम ब्याज पर ऋण देने में इसे सक्षम बनाती है।

अंशपूंजी की वापिसी की शर्तें

सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाने पर कार्यकारिणी समिति ऐसी समाप्ति के 3 माह के भीतर ऐसे भूतपूर्व सदस्य को उसके द्वारा किये वास्तविक अंशदान का धन मय पूर्व में घोषित लाभांश एवं अन्य जमा धन को जो उसे संस्था द्वारा देय हो उसके द्वारा संस्था को देय धन काटकर देने का प्रबन्ध करेगी। मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम 1960 के मुताबिक सदस्य, समिति में धारण किये गये अपने हिस्से तथा हितों को केवल तभी अंतरित कर सकेगा जबकि उसने ऐसे हिस्से या हित को न्यूनतम एक वर्ष धारण कर लिया हो, ऐसा अंतरण किसी समिति या समिति के किसी सदस्य को किया गया हो और यह समिति के कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित कर लिया गया हो और ऐसे अंशों का पुरा चुकारा कर दिया गया हो।

सदस्य की मृत्यु हो जाने के पश्चात् विधान व नियमों द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर उसके संस्था में अंश, लाभांश आदि के रूप में जमा धन का, उसके जिम्में संस्था की देय रकम काटकर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति के अभाव में ऐसे व्यक्ति को उसके द्वारा संस्था के पक्ष में प्रतिज्ञा पत्र लिखाकर चुकारा कर दिया जावेगा, जो कार्यकारणी समिति की राय में ऐसे मृत सदस्य का उत्तराधिकारी अथवा वैध प्रतिनिधि हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मृत सदस्य की अमानतों के रूप में जमा धन तब तक चुकाने योग्य न होगा जब तक की उनकी अवधि, यदि कोई हो, समाप्त न हो गई हो।

(ग) रक्षित–निधि तथा अन्य निधियां

एक सहकारी समिति की निजी पूंजी में रक्षित तथा अन्य निधियों को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। रक्षित निधि के निर्माण से सहकारी संस्थाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है और अनिश्चित हानियों तथा घातक व संकटपूर्ण स्थितियों से सदस्यों द्वारा जमा की गई हिस्सा पूंजी पर धक्का नही पहुंचता। समिति की खुद की पूंजी निर्माण होती जाती है और उसकी बाहरी साहूकारों पर निर्भरता क्रमशः कम होती जाती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए सहकारी समितियों के अधिनियमों में अनिवार्य तौर पर समिति द्वारा कमाये गये शुद्ध लाभ में से 25 प्रतिशत उसके बचत फण्ड या रक्षित निधि में रखने का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण सहकारी समितियां अपना पूरा का पूरा लाभ रक्षित निधि में रखती है जिससे उनकी खुद की पूंजी जल्दी से जल्दी बढ़े और वे स्वावलम्बी बन सकें। रक्षित कोष सदस्यों में विभाजित नहीं होता। यह संस्था में रहता है और पंजीयक की अनुमति के इसमें से डूबन्त रकम खारिज की जा सकती है।

सहकारी समिति की रक्षित निधि के विनियोग का प्रश्न विवादग्रस्त रहा है और विभिन्न राज्यों में इस सम्बन्ध में भिन्न–भिन्न तरीके अपनाये गये है। बम्बई में रक्षित निधि सहकारी समिति के कारोबार में या सहकारी विधान के प्रावधानों के अनुसार विनियोजित की जाती है।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

अंशपूंजी महत्वपूर्ण बातें

- रोकड़ बही में अंशपूंजी की प्रविष्टियों का मिलान समिति द्वारा काटी गई रसीदों से करना चाहिये। यह भी देखना चाहिये कि रसीदों पर संबंधित जमा कर्ताओं के हस्ताक्षर है। यदि रसीदों पर उनके हस्ताक्षर लेने की प्रथा न हो तो संस्था को सुझाव देना चाहिये कि वे रसीदों पर जमा कर्ताओं के हस्ताक्षर लिया करें।
- क्या रसीदें ठीक से काटी गई हैं, उनमें विवरण लिखा गया है तथा उन पर अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर है।
- सदस्यता आवेदन पत्र तथा सदस्य बनाये जाने संबंधी ठहराव की जांच कर यह मालूम करना चाहिये कि सदस्य को कितने अंश देना निर्धारित किया गया है।
- आवेदन पत्र के साथ अंशपूंजी तथा प्रवेश शुल्क जमा करने पर राशि सस्पेन्स खाते में रखी जाती है। प्रबंधकारिणी समिति द्वारा उनको विधिवत सदस्य बनाये जाने पर अंशपूंजी का समायोजन करना चाहिये।
- अंशों की पूरी रकम जमा कर दी गई है। सदस्यता पंजी में सदस्य के हस्ताक्षर करा लिये गये हैं। यदि किसी सदस्य को दुबारा कोई अतिरिक्त हिस्सा रजिस्टर सही एवं पूर्ण है तथा सदस्य रजिस्टर की प्रविष्टियों से मेल खाता है।
- हिस्सा रजिस्टर की समस्त रकमों को रोकड़ बही तथा खातों में लिख दिया गया है।
- यदि अंशपूंजी किश्तों में भुगतान की जाने वाली हो तो क्या किश्तों की वसूली नियमित रूप से हुई है और बकाया किस्तों की वसूली के लिये उचित कार्यवाही की गई है।

जीएसटी की ठगी से बचाएगा जीएसटी वेरिफाई एप

केंन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं उत्पाद शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने ग्राहकों को फर्जीवाड़े से बचाने के लिए जीएसटी वेरिफाई एप लांच किया। इस एप के जरिये ग्राहक जान सकेंगे कि उनसे किसी सामान पर जीएसटी वसूलने वाली कंपनी जीएसटीएन के तहत पंजीकृत है या नहीं।

किस तरह से काम करता है एप

चाहे आप दुकान से सामान ले रहे हों, ऑनलाइन ऑर्डर हो या किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाना ही क्यों न खा रहे हैं आप हर बिल पर जीएसटी चुकाते हैं लेकिन ये जीएसटी सरकार के पास जा रहा है या नहीं ये कैसे पता लगाया जाए ? इसके लिए आप मोबाइल एप्लिकेशन जीएसटी वेरिफाई की मदद ले सकते है।

जीएसटी वेरिफाई एप पर जाकर आपको बिल पर मौजूद जीएसटी नंबर दर्ज करना है और एप आपको बताएगा कि विक्रेता जीएसटी वसूल कर सकता है या नहीं। ये एप जीएसटी डाटाबेस से इनफॉरर्मेशन को मैच करके रिजल्ट दिखाता है। डेटा मैच करते ही पता लग जाता है कि कारोबारी सही रजिस्टर्ड नंबर से ही जीएसटी चार्ज कर रहा है या नहीं। ये एप बिना किसी शुल्क के गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।

मास्टर ट्रेनर तैयार करने हेतु सहकारिता का आधारभूत प्रशिक्षण

म.प्र. आजीविका मिशन के तत्वावधान में म.प्र. राज्य सहकारी संघ द्वारा मास्टर ट्रेनर तैयार करने के लिए सहकारिता का आधारभूत तीन–तीन दिवसीय प्रशिक्षण संघ मुख्यालय में 29 जनवरी 2019 से प्रारंभ हुआ। इस प्रशिक्षण में प्रत्येक जिले से मिशन अंतर्गत गठित संकुल स्तरीय संघीय सहकारी संघ के जिला एवं ब्लाक के चार प्रतिभागी इन प्रशिक्षणों में भाग ले रहे है। प्रथमतः 10 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाना है, जो 20 मार्च 2019 तक आयोजित होंगे। दिनांक 13.03.2019 तक आयोजित प्रशिक्षणों की चित्रमय झलकियां।

25 से 27 फरवरी, 2019

25 से 27 फरवरी, 2019

5 से 7 मार्च, 2019

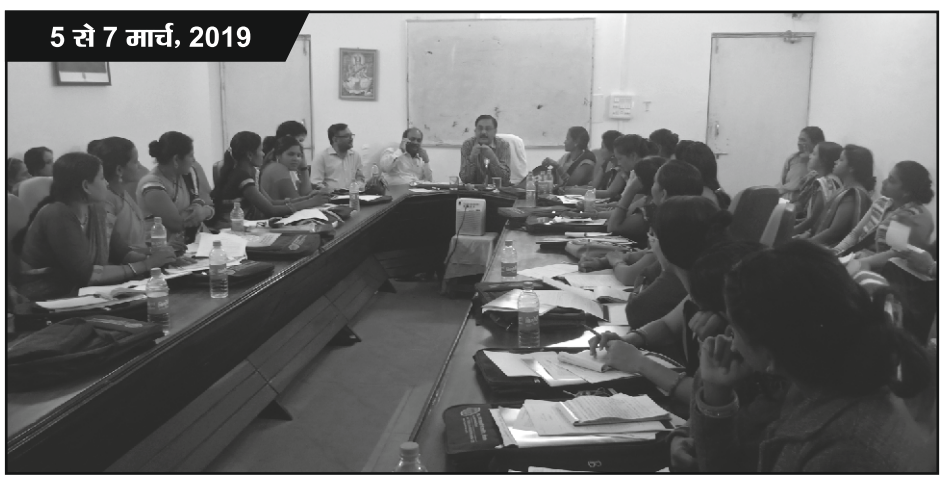

5 से 7 मार्च, 2019

11 से 13 मार्च, 2019

11 से 13 मार्च, 2019

म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु कुशल प्रबंधन सह उन्मुखीकरण प्रशिक्षण

म.प्र. राज्य सहकारी संघ द्वारा मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु 5 मार्च एवं 6 मार्च को एक–एक दिवसीय प्रशिक्षण कुशल प्रबंधन सह उन्मुखीकरण विषय पर आयोजित किया गया, जिसकी चित्रमय झलकियाँ।

5 मार्च, 2019

6 मार्च, 2019

सहकारिता विभाग के अधिकारियों को आईटी पर प्रशिक्षण

म.प्र. राज्य सहकारी संघ द्वारा सहकारिता विभाग के प्रदेश में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु एक-एक दिवसीय सूचना प्रौद्योगिकी पर प्रशिक्षण दिनांक 25 से 28 फरवरी तक आयोजित किये गये। प्रशिक्षण में डिजीटल ट्रांजेक्शन, साइबर क्राइम एवं ई-को-आपरेटिव विषय पर विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षणों की चित्रमय झलकियाँ।

25 फरवरी, 2019

25 फरवरी, 2019

26 फरवरी, 2019

27 फरवरी, 2019

27 फरवरी, 2019

28 फरवरी, 2019

28 फरवरी, 2019

बीज खेती की नींव का आधार और मूल मंत्र

कृषि उत्पादन में बीज का महत्वपूर्ण योगदान है। एक ओर "जैसा बोओगे वैसा काटोगे"यह मर्म किसानों की समझ में आना चाहिए इसलिए अच्छी किस्म के बीजों का उत्पादन जरूरी है। दूसरी ओर सर्व गुणों युक्त उत्तम बीज की कमी रहती है। इसलिए बीज उत्पादन को उद्योग के रूप में अपनाकर कृषक जहां स्वयं के लिए उत्तम बीज की मांग की पूर्ति कर सकते हैं,वहीं इसे खेती के साथ साथ रोजगार स्वरूप अपनाकर अतिरिक्त आय का साधन बना सकते हैं तथा राज्य के कृषि उत्पादन को बढ़ाने में सहयोग दे सकते है।

भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है, जिसकी अर्थव्यवस्था में कृषि रीढ़ की हड्डी के समान है। हमारे देश प्रदेश में हमारी आजीविका का प्रमुख साधन कृषि है। हमेशा से और आज भी कृषि उत्पादन में बीजों की भूमिका अत्याधिक महत्वपूर्ण रही है। बीज खेती की नींव का आधार और मूलमंत्र है। अतः अच्छी गुणवत्ता वाले बीज से, फसलों का भरपूर उत्पादन प्राप्त होता है।

कृषक बन्धु जानते है , कि उत्तम गुणवत्ता वाला बीज सामान्य बीज की अपेक्षा 20 से 25 प्रतिशत अधिक कृषि उपज देता है। अतःशुध्द एवं स्वस्थ "प्रमाणित बीज" अच्छी पैदावार का आधार होता है। प्रमाणित बीजों का उपयोग करने से जहां एक ओर अच्छी पैदावार मिलती है वहीं दूसरी ओर समय एवं पैसों की बचत होती है,किसान भाई अगर अशुध्द बीज बोते व तैयार करते हैं तो उन्हे इससे न अच्छी पैदावार मिलती है और न बाजार में अच्छी कीमत। अशुध्द बीज बोने से एक ओर उत्पादन तो कम होता ही है और दूसरी ओर अशुध्द बीज के फलस्वरूप भविष्य के लिए अच्छा बीज प्राप्त नहीं होता है बल्कि अशुध्द बीज के कारण खेत में खरपतवार उगने से नींदा नियंत्रण के लिए अधिक पैसा खर्चा करना एवं अन्त में उपज का बाजार भाव कम प्राप्त होता है,जिससे किसानों को अपनी फसल का उचित लाभ नहीं प्राप्त होता है। यदि किसान भाई चाहें कि उनके अनावश्यक खर्चे घटें और अधिक उत्पादन व आय मिले तो उन्हे फसलों के प्रमाणित बीजों का उत्पादन एवं उपयोग करना होगा।

1. प्रजनक बीज :– अनुवांशिक शुध्दता का बीज उत्पादन और उनको कृषकों को उपलब्ध होना, उत्तम प्रजनक बीजों के उत्पादन पर निर्भर रहता है,प्रजनक बीज उत्पादन का कार्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के नियंत्रण में अनुसंधान केन्द्रों व राज्यों के कृषि विश्व विद्यालयों द्वारा किया जाता है। प्रजनक बीज अधिकृत प्रजनक विशेषज्ञ की देख रेख में तैयार किया जाता है। यह आधार बीज उत्पादन का मूल स्त्रोत होता है। इस बीज की थैली पर सुनहरे पीले रंग का बीज के विवरण का लेविल लगा होता है। जिस पर फसल प्रजनक विशेषज्ञ के हस्ताक्षर होते हैं।

2. आधार बीज :– यह बीज प्रजनक बीज की संतति होती है। जिसे बीज प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में निर्धारित मानकों पर पाये जाने पर प्रमाणित किया जाता है। आधार बीज की थैलियों पर सफेद रंग का प्रमाणीकर टैग (लेबिल) लगा होता है। जिस पर संस्था के अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर होते है।

3. प्रमाणित बीज :– आधार बीज से द्विगुणन कर प्रमाणित बीज तैयार किया जाता है। जिसे बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा निर्धारित मानक अनुसार पाये जाने पर प्रमाणित किया जाता है। प्रमाणित बीज की थैलियों पर नीले रंग का प्रमाणीकरण टैग लगा होता है। जिस पर संस्था के अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर होते है।

(पृष्ठ 3 का शेष)

सहकारी संस्थाओं में .....

उत्तरप्रदेश में रक्षित निधि समिति के कारोबार में लगाई जाती है। मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, मैसूर, व पश्चिमी बंगाल में इसका विनियोग विभिन्न प्रकार से किया जाता है। मद्रास, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में रक्षित निधि का विनियोग अंशतः केन्द्रीय व सर्वोच्च सहकारी अधिकोष में अमानत के रूप में और कुछ भाग सहकारी प्रतिभूतियों में किया जाता है। मध्यप्रदेश सहकारी विधान के मुताबिक रक्षित निधि का शासकीय सेविंग बैंक में भारतीय न्यास अधिनियम के अनुसार निश्चित प्रतिभूतियों में संघ समिति के हिस्सों के क्रय में मर्यादित दायित्व वाली किसी समिति के अंश पूंजी प्रतिभूति या दीर्घकालीन ऋण पत्रों के क्रय में और राज्य शासन के सामान्य या विशेष अधिसूचना या पंजीयक के आदेशानुसार विनियोग किया जा सकता है। मैकलागन कमेटी का विचार था कि रक्षित निधि संस्था के कारोबार में ही लगाई जावे। ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण का सुझाव यह है कि रक्षित निधि ऋणदाता अधिकोषों में अमानत के रूप में रखी जावें और बैंक अन्य अमानतों की तुलना में इस पर अधिक दर से ब्याज दें।

इनके अतिरिक्त सहकारी समिति आवश्यकतानुसार शुद्ध लाभ में से अशोध्य ऋण संचित भवन निर्माण निधि लाभांश सन्तुलन निधि आदि का निर्माण कर सकती है। मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में यह भी कहा है कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक बांटे गये ऋण पर प्राप्त शासकीय अनुदान को समितियों व केन्द्रीय अधिकोषों द्वारा एक विशष्ट अशोध्य ऋण संचित में डाल दिया जाये जो उनके लाभ द्वारा निर्मित अशोध्य ऋण संचित से भिन्न हो। समितियां इस संचिति को उनसे सम्बन्धित केन्दीय अधिकोष में जमा करें और बैकों को यह सुविधा रहे कि वे अपनी इस निधि को कारोबार में लगावें। प्राथमिक समिति द्वारा इस संचिति से रूपया पंजीयक की अनुमति से समस्त घाटे की पूर्ति के लिए निकाला जाये।

इन संचितियों के निर्माण से समितियों की निजी पूंजी बढ़ेगी, उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी और उनको संकटपूर्ण व घातक परिस्थितियों का सामना करने में मदद मिलेगी। समिति को हानि होने की दशा में सदस्यों के हिस्सा पूंजी पर धक्का नहीं पहुंचता। समिति को बाहरी साधनों से ऋण लेने की कम आवश्यकता पड़ेगी, वे स्वावलंबी बनेंगी और उनको आवश्यक नैतिक बल प्राप्त होगा जो कि कृषक समुदाय के समस्त वर्गों को ऋणीय सुविधाएं उपलब्ध होने से पूर्ण आवश्यक है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधान

धारा 24 किसी सदस्य द्वारा अंशपूंजी धारण करने पर निर्बन्धन :–

किसी भी सोसायटी में, राज्य सरकार या किसी अन्य सोसायटी से भिन्न कोई भी सदस्य –

(ए/क) सोसायटी की कुल अंश पूंजी एक पंचमांश से अनधिक,उसके ऐसे भाग से अधिक धारण नहीं करेगा जैसा कि विहित किया जाय, या

(बी/ख) सोसायटी के अंशों में बीस हजार रूपये से अधिक का कोई हित नहीं रखेगा या उसका दावा नहीं करेगाः

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, सोसायटियों के किसी वर्ग की बाबत ऐसा अधिकतम परिमाण विनिर्दिष्ट कर सकेगी जो यथास्थिति अंशपूंजी के एक पंचमांश से या बीस हजार रूपये से अधिक होगा।

धारा 25 अंशों या हित के अन्तरण पर निर्बन्धन :–

(1) किसी सदस्य के किसी ऐसे अंश या हित का, जो कि किसी सोसायटी की अंश पूंजी में उसका हो, अन्तरण उन निर्बन्धनों के अध्यधीन रहते हुए होगा जो कि अधिकतम अंश धारण के बारे में धारा 24 में विनिर्दिष्ट है।

(2) किसी सदस्य द्वारा किसी सोसायटी में अपने अंश या हित का कोई अंतरण तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि–

(क) वह सदस्य ऐसा अंश या हित कम से कम एक वर्ष तक धारण न कर चुका हो,

(ख) वह अंतरण उस सोसायटी को या उस सोसायटी के किसी सदस्य को न किया जाय, और

(ग) वह अंतरण संचालक मंडल द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाये।

धारा 25

अंश या निक्षेप या हित कुर्की के दायित्वाधीन नहीं होगाः– धारा 39 के उपबंधो के अध्यधीन रहते हुए, किसी सोसायटी की पूंजी या कामकाज पूंजी में, या किसी गृह निर्माण सोसायटी द्वारा जारी किये गये उधार स्टाक (लोक स्टाक) में, या किसी सोसायटी द्वारा अपने सदस्यों से बचत निक्षेप के रूप में या मजदूरी में से उस सोसायटी द्वारा की गई अनिवार्य कटौतियां करके या सदस्यों को किये गये माल के विक्रय या प्रदाय मूल्य पर अधिभार के रूप में इकट्ठा की गई निधियों में का किसी सदस्य का अंश या हित या निक्षेप सदस्यों या भूतपूर्व सदस्यों द्वारा उपगत किये गये किसी ऋण या दायित्व के कारण या के संबंध में किसी न्यायालय की डिक्री या आदेश के अधीन कुर्की या विक्रय के दायित्वाधीन नहीं होगा और तद्नुसार प्रांतीय दिवाला, अधिनियम, 1920 (क्रमांक 5 सन् 1920) के अधीन कोई प्रापक या तत्समय प्रवृत्त किसी तत्सम विधि के अधीन कोई ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी ऐसे अंश या हित या निक्षेप का हकदार नहीं होगा या ऐसे अंश या हित या निक्षेप के संबंध में कोई दावा नहीं रखेगा।

धारा 39

सदस्यों के अंश या हित की बाबत भार एवं मुजराईः– किसी सोसाइटी का किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य के पूंजी में के अंश या हित पर तथा उसके निक्षेपों पर तथा किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य को देय किसी लाभांश, बोनस या लाभों पर, किसी ऐसे ऋण या बकाया मांग, जो कि ऐसे सदस्य या भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य की ओर से उस सोसाइटी को देय हो, के संबंध में भार होगा और उस किसी भी ऐसी राशि को,जो कि किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य के नामे जमा की गई हो या उसको देय हो, किसी ऐसे ऋण या बकाया मांग के भुगतान में अथवा उसके लेखे मुजरा कर सकेगीः

परन्तु किसी वित्तदायी बैंक का किसी ऐसी राशि, जो किसी सोसायटी द्वारा ऐसे बैंक में आरक्षित निधि के रूप में विनिहित की गई हो, पर उस दशा में कोई भार नहीं होगा जबकि ऐसा बैंक उस सोसायटी का एकमात्र लेनदार न हो अथवा किसी ऐसी राशि, जो कि ऐसे बैंक में किसी भविष्य निधि से विनिहित की गई हो, पर उसका कोई भार नहीं होगा और न ऐसा बैंक किसी ऐसी राशि को, जो कि उस सोसायटी के नामें जमा की गई हो या उसे देय हो, किसी ऐसे ऋण या बकाया मांग के जो कि ऐसी सोसाइटी की ओर से ऐसे बैंक को देय हो, भुगतान में या उसके लेखे मुजरा करने का हकदार नहीं होगा।

प्रवेश शुल्क :–

- प्रत्येक सदस्य से निर्धारित प्रवेश शुल्क वसूल किया गया है।
- प्रवेश शुल्क की रकमें सदस्य रजिस्टर की प्रविष्टियों से मेल खाती है।
- प्रवेश शुल्क की रसीदों से रोकड़ बही में लिखी गई प्राप्तियों की जांच करना चाहिये।
- प्रवेश शुल्क के उपयोग की जांच करना चाहिये। समिति की स्थापना के प्रथम वर्ष में प्राप्त प्रवेश शुल्क का उपयोग प्रारम्भिक खर्चों के अपलिखित करने के काम में किया जा सकता है। तत्पश्चात प्रवेश शुल्क की राशि का रक्षित निधि में हस्तान्तरित किया जाना चाहिये।

उन्नत कृषि के लिए जरूरी मिट्टी परीक्षण

मिट्टी परीक्षण के उद्देश्य–

मिट्टी परीक्षण सामान्यतया निम्न उद्देश्यो की पूर्ति के लिये किया जाता है –

1. मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर की जांच करके फसल एवं किस्म के अनुसार तत्वों की सन्तुलित मात्रा का निर्धारण कर खेत में खाद एवं उर्वरक मात्रा की सिफारिश हेतु।
2. मृदा अम्लीयता, लवणीयता एवं क्षारीयता की पहचान एवं सुधार हेतु सुधारको की मात्रा व प्रकार की सिफारिश कर इन जमीनो को कृषि योग्य बनाने हेतु महत्वपूर्ण सलाह एवं सुझाव देना।
3. फल के बाग लगाने के लिये भूमि की उपयुक्तता का पता लगाना।
4. मृदा उर्वरता मानचित्र तैयार करने के लिये। यह मानचित्र विभिन्न फसल उत्पादन योजना निर्धारण के लिये महत्वपूर्ण होता है तथा क्षेत्र विशेष में उर्वरक उपयोग संबंधी जानकारी देता है।
5. मिट्टी का नमूना एकत्र करना– मिट्टी परीक्षण के लिये सबसे महत्वपूर्ण होता है कि मिट्टी का सही नमूना एकत्र करना। इसके लिये जरूरी होता है कि नमूना इस प्रकार लिया जाये कि वह जिस खेत या क्षेत्र से लिया गया हो उसका पूर्ण प्रतिनिधित्व करता हो। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु मिट्टी के प्रतिनिधि नमूने एकत्र किये जाते है। प्रतिनिधि नमूना लेने के लिये ध्यान दे कि –

1– नमूना लेने से पूर्व खेत में ली गई फसल की बढवार एक ही रही हो।

2– उसमें एक समान उर्वरक उपयोग किये गये हो।

3– जमीन समतल व एक ही हो तो ऐसी स्थिति में पूरे खेत से एक ही संयुक्त या प्रतिनिधि नमूना ले सकते है।

6. इसके विपरीत यदि खेत में अलग–अलग फसल ली गई हो। भिन्न–भिन्न भागो में अलग–अलग उर्वरक मात्रा डाली गई हो। फसल बडवार कही कम, कही ज्यादा रही हो। जमीन समतल न होकर ढालू हो तो इन परिस्थितियो में खेत के समान गुणो वाली सम्भव इकाईयो में बांटकर हर इकाई से अलग–अलग प्रतिनिधि नमूना लेना चाहिये। नमूना सामान्यतः फसल बोने के एक माह पहले लेकर परीक्षण हेतु भेजना चाहिये ताकि समय पर परिणाम प्राप्त हो जायें एवं सिफारिश के अनुसार खाद उर्वरको का उपयोग किया जा सके।
7. नमूना एकत्रीकरण हेतु आवश्यक सामग्री
8. खुरपी, फावडा, बाल्टी या ट्रे, कपडे एवं प्लास्टिक की थैलियां , पेन, धागा, सूचना पत्रक , कार्ड आदि।
9. प्रतिनिधि नमूना एकत्रीकरण विधि–

1– जिस खेत में नमूना लेना हो उसमें जिग–जैग प्रकार से घूमकर 10–15 स्थानो पर निशान बना ले जिससे खेत के सभी हिस्से उसमें शामिल हो सकें।

2– चुने गये स्थानो पर उपरी सतह से घास–फूस, कूडा करकट आदि हटा दे।

3– इन सभी स्थानो पर 15 सें.मी. (6 –9 इंच) गहरा वी आकार का गड्ढा खोदे। गड्ढे को साफ कर खुरपी से एक तरफ उपर से नीचे तक 2 से.मी. मोटी मिट्टी की तह को निकाल ले तथा साफ बाल्टी या ट्रे में डाल ले।

4– एकत्रित की गई पूरी मिट्टी को हाथ से अच्छी तरह मिला लें तथा साफ कपडे पर डालकर गोल ढेर बना लें। अंगूली से ढेर को चार बराबर भागो की मिट्टी अलग हटा दें । अब शेष दो भागो की मिट्टी पुनः अच्छी तरह से मिला लें व गोल बनाये। यह प्रक्रिया तब तक दोहराये जब तक लगभग आधा किलों मिट्टी शेष रह जायें। यही प्रतिनिधि नमूना होगा।

5– सूखे मिट्टी नमूने को साफ प्लास्टिक थैली में रखे तथा इसे एक कपडे की थैली में डाल दें। नमूने के साथ एक सूचना पत्रक जिस पर समस्त जानकारी लिखी हो एक प्लास्टिक की थैली में अन्दर तथा एक कपडे की थैली के बाहर बांध देवें।

6– अब इन तैयार नमूनों को मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला भेजे।

मिट्टी परीक्षण क्या है–

खेत की मिट्टी में पौधो की समुचित वृध्दि एवं विकास हेतु आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्ध मात्राओं का रासायनिक परीक्षणों द्वारा आंकलन करना साथ ही विभिन्न मृदा विकास जैसे मृदा– लवणीयता, क्षारीयता एवं अम्लीयता की जांच करना मिट्टी परीक्षण कहलाता है।

पौधो की समुचित वृध्दि एवं विकास के लिये सर्वमान्य रूप से सोलह पोषक तत्व आवश्यक पाये गये है। यह अनिवार्य पोषक तत्व है। कार्बन, हाइड्रोजन, आक्सीजन, नत्रजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्निशियम एवं सल्फर (मुख्य या अधिक मात्रा मे लगने वाले आवश्यक पोषक तत्व) इन पोषक तत्वों मे से प्रथम तीन तत्वों को पौधे प्रायः वायु व पानी से प्राप्त करते है तथा शेष 13 पोषक तत्वों के लिये ये भूमि पर निर्भर होते है । सामान्यतः ये सभी पोषक तत्व भूमि में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध रहते है। परन्तु खेत में लगातार फसल लेते रहने के कारण मिट्टी से इन सभी आवश्यक तत्वों का ह्रास निरन्तर हो रहा है। असन्तुलित पौध पोषण की दशा में फसलो की वृध्दि समुचित नहीं हो पाती तथा पौधो के कमजोर होने एवं रोग व्याधि, कीट आदि से ग्रसित होने की सम्भावना अधिक रहती है। परिणामस्वरूप फसल उत्पादन कम होता है इसके अतिरिक्त उर्वरक भी काफी महंगे होते जा रहे है। अतः इन पोषक तत्वों को खेत में आवश्यकतानुरूप ही उपयोग करना जिससे खेती लाभदायक बन सकती है। खेतो में उर्वरक डालने की सही मात्रा की जानकारी मिट्टी परीक्षण द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। अतः मिट्टी परीक्षण उर्वरकों के सार्थक उपयोग एवं बेहतर फसल उत्पादन हेतु नितान्त आवश्यक है।

गैर–वैज्ञानिक तरीके से खेती करना और उर्वरकों तथा कीटनाशकों के अधिकतम उपयोग से मिट्टी की उर्वरकता समाप्त हो रही और कृषि मृदा अनुपायोगी बनती जा रही है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता बहुत कम हो जाएगी। उच्च तापमान के कारण मिट्टी में से कार्बनिक पदार्थ कम होने और लगातार मिट्टी के कटाव से बंजर भूमि बढ़ेगी।

इन समस्याओं के समाधान के लिए समस्या का ठोस डाटा बेस तैयार करने की आवश्यकता है। देश भर से एकत्रित मिट्टी के नमूने और मिट्टी की जांच से देश के अलग–अलग पारिस्थितिकीय क्षेत्र में मिट्टी की स्थिति के बारे में वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध होगी। इसके आधार पर मिट्टी की उर्वरकता को दोबारा हासिल करने के उपायों का व्यावहारिक कार्यान्वयन संभव होगा। इससे न केवल लागत कम आएगी, बल्कि किसानों की फसल का उत्पादन भी अधिक होगा और अंततः गरीबी समाप्त करने में मदद मिलेगी।

चेक से लेन-देन करते समय रखें इन खास बातों का ध्यान?

अगर चेक से लेन–देन करना हो तो कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी है वरना जल्दबाजी में चेक के साथ बरती गई लापरवाही नुकसान की वजह भी बन सकती है। तो जानते हैं कि चेक से लेन–देन करते समय किन गलतियों से बचना चाहिए –

रकम भरने के बाद '/-' निशान लगाएँ – चेक में शब्दो और अंको में रकम लिखने के बाद उसके पीछे '/-' का निशान बनाना बेंहद जरूरी है। शब्दों में यह निशान लगाने से पहले अंग्रेजी में 'ओनली' अथवा हिन्दी में 'मात्र' लिख देना बेहतर रहता है। उदाहरण के तौर पर – Twenty Thousand only/- और 20000/– । यह निशान इस बात को दर्शाता है कि आपने जो रकम लिखी है, वह इतने तक की सीमित है। '/-' निशान नहीं लगाए जाने पर जालसाजों को रकम में हेरफेर करने का मौका मिल सकता है।

चेक की तारीख – चेक उस पर डाली गई तारीख से तीन महीने तक ही मान्य रहता है। यानी, इसे इसी अवधि में या तो जमा कराना होताै या राशि आहरित करनी होती है। आप जब भी किसी को आगे की तारीख का (पोस्ट डेटेट चेक) देते हैं तो इस बात का खास ध्यान रखें। साथ ही, चेक पर तारीख डालने में अगर कोई गलती हो जाए तो उसे ओवरराइट करने की बजाय दूसरे चेक का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। तारीख के साथ अन्य डिटेल्स में गलती होने पर भी नया चेक इस्तेमाल करना ही ठीक रहेगा।

शब्दों और अंको के बीच स्पेस – जब भी किसी को चेक से पेमेंट करना हो तो नाम और रकम को लेकर शब्दों और अंको के बीच ज्यादा स्पेस दने से बचें। ज्यादा स्पेस नाम और रकम में छेड़छाड़ होने की गुंजाइश पैदा कर देता है। इसके अलावा जांच लें कि जो रकम शब्दों में लिखी है, वहीं रकम अंको में भी हो। बैंक चेक को तभी स्वीकार करेंगे जब दोनो जगह रकम एक ही हो।

आदाता के खाते में (Account payee) देय – अगर आप केवल आदाता के खाते में भुगतान करना चाहते है तो चेक पर अकाउंट पेई जरूर डालें। इस चेक की बायीं ओर डब्ल क्रॉस लाइन के बीच A/C Payee लिखकर बनाया जाता है। इससे चेक का भुगतान सीधी बैंक खाते में होता है और इसे काउंटर पर भुनाया नहीं जा सकता है। अकाउंट पेई लिखते समय चेक पर दायीं ओर लिखे बीयरर को काट दें।

चेक की ब्योरे अपने पास रखें – जब भी किसी को चेक दें तो उसके ब्योरे जैसे चेक नंबर, आदाता का नाम, रकम और तारीख जरूर नोट कर लें। आगे कभी चेक को स्टाप पेमेंट करना हो तो यह जानकारी आपके काम आ सकती है।

सहकारिता के समुचित विकास हेतु महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी आवश्यक

नव सृजन महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति के सदस्यों हेतु प्रशिक्षण संपन्न

जबलपुर। "सहकारी आन्दोलन के विकास में महिलाओं की सक्रिय व सशक्त भागीदारी हेतु आज आवश्यक है कि महिला सहकारी समितियों का अधिक से अधिक गठन हो और महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु सफल प्रयत्न किये जाये" ये विचार सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर के प्राचार्य श्री यशोवर्धन पाठक ने नव सृजन महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति के गठन के अवसर पर अल्पावधि प्रशिक्षण सत्र का शुभारंभ करते हुए व्यक्त किये। इस अवसर पर समिति की श्रीमती रेखा रॉय ने कहा कि समिति के माध्यम से महिलाओं के विकास की दिशा तय करने में मदद् मिलेगी। श्रीमती पिंकी जैन द्वारा समिति के उद्देश्यों और रूपरेखा पर प्रकाश डाला।

कार्यक्रम के प्रारंभ में केन्द्र के व्याख्याता श्री व्ही.के.बर्वे ने केन्द्र की प्रशिक्षण गतिविधियों को इस प्रकार की समितियों के गठन में जरूरी बताया। स्वागत श्रीमती ज्योति जैन(मनीषा), श्रीमती संध्या जैन, श्रीमती मंजू सोनी द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन केन्द्र के व्याख्याता श्री दिलीप मरमट ने किया। आयोजन में केन्द्र के श्री एन.पी. दुबे, श्री शोभित ब्यौहार का सहयोग रहा। अन्त में आभार प्रदर्शन सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र की ओर से श्री पीयूष राय द्वारा किया गया।

सायबर अपराध व सुरक्षा पर कार्यशाला का आयोजन

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., मुख्यालय मांगलिया इन्दौर

इन्दौर। म. प्र. राज्य सहकारी संघ मर्या., भोपाल द्वारा सायबर अपराध व सुरक्षा उपाय तथा कानूनी पहलू पर दिनांक 1 मार्च 2019 को इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., मुख्यालय मांगलिया इन्दौर में कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें दुग्ध संघ के जनरल मैनेजर (एफ.ओ.) डॉ. ए.के. खरे, जनरल मैनेजर (पी.ओ.) एस. जाधव, जनरल मैनेजर (मार्केटिंग) डॉ. एस.के. गौर सहित अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में कार्यालय सम्बन्धी होने वाले सायबर अपराध व सुरक्षा उपायो के प्रति जागरूक किया गया व सूचना प्रोघोगिकी कानून के प्रावधानो की जानकारी भी दी गई। सभी ने कार्यक्रम को वर्तमान समय के अनुसार बहुत उपयोगी बताया। प्रशिक्षण संबंधी पाठ्य सामग्री भी वितरित की गई। सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, इन्दौर के कम्प्यूटर प्रशिक्षक श्री शिरीष पुरोहित द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।

सायबर अपराध व सुरक्षा पर कार्यशाला का आयोजन

इंदूर परस्पर सहकारी बैंक लिमि., इन्दौर तिलकपथ शाखा

इन्दौर। सहकारिता के क्षेत्र में कम्प्यूटर, मोबाईल व इंटरनेट के बढ़ते उपयोग को ध्यान में रखते हुए म. प्र. राज्य सहकारी संघ मर्या., भोपाल द्वारा सायबर अपराध व सुरक्षा उपाय तथा कानूनी पहलू पर कार्यशालाओं का आयोजन प्रदेश स्तर पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में दिनांक 23 फरवरी 2019 को इंदूर परस्पर सहकारी बैंक लिमि., इन्दौर तिलकपथ शाखा में कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें 66 बैंक अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में बैंक सम्बन्धी होने वाले सायबर अपराध व सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक किया गया व सूचना प्रौद्योगिकी कानून के प्रावधानो की जानकारी भी दी गई। सभी ने कार्यक्रम को वर्तमान समय के अनुसार बहुत उपयोगी बताया। प्रशिक्षण संबंधी पाठ्यसामग्री भी वितरित की गई। सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, इन्दौर के कम्प्यूटर प्रशिक्षक श्री शिरीष पुरोहित द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।

शहरी साख संस्थाओं हेतु प्रशिक्षण

खरगोन। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल के सहयोग से सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र इंदौर द्वारा खरगोन जिला सहकारी संघ कार्यालय में खरगोन जिले की शहरी साख संस्थाओं हेतु तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र के प्राचार्य श्री निरंजन कसारा एवं श्री के.एल. राठौर द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम दिनांक 25 फरवरी से प्रारंभ होकर समापन दिनांक 27 फरवरी 2019 को हुआ। इस कार्यक्रम में खरगोन जिले की शहरी साख संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया गया। इस कार्यक्रम में सहकारी संस्थाओं के नेतृत्व विकास एवं व्यवस्थित संचालन हेतु प्रशिक्षण दिया गया। इसमें सहकारिता के सैद्धान्तिक पहलु, वित्तीय पत्रकों का विश्लेषण, सहकारी संस्थाओं में बैठको का महत्व, प्रकार व बैठक बुलाने के पूर्व की दी जाने वाली तैयारियां एवं निर्वाचन प्रक्रिया पर प्रशिक्षण दिया गया।

कार्यक्रम के प्रारंभ में सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र के श्री के.एल. राठौर ने कार्यक्रम का परिचय दिया। केन्द्र के प्राचार्य श्री निरंजन कुमार कसारा ने मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा चलायी जाने वाली गतिविधियों पर चर्चा की व जिला सहकारी संघ के प्रबंधक श्री ओंकार यादव ने अतिथियों का स्वागत करते हुवे, जिला सहकारी संघ की योजनाओं पर चर्चा की कार्यक्रम को पूर्व जिला सहकारी शिक्षा प्रशिक्षक श्री एस. सी. उपाध्याय ने भी संबोधित किया। उक्त तीन दिवसीय नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 25 फरवरी से 27 फरवरी 2019 तक जिला सहकारी संघ खरगोन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में खरगोन जिले की शहरी साख संस्थाओं के सदस्यों ने भाग लिया।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा
डाक पंजीयन क्रमांक – म.प्र./भोपाल/357/2018-20 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।